न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 323/2022 तारीख रजू:– 11.11.2022

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. सुरेन्द्र पुत्र भरोसी
2. मु. रिन्की पुत्री भरोसी
3. मु. पिन्की पुत्री भरोसी

जाति जाटव, निवासी दिदौरा, तहसील– सूरौठ, जिला करौली (राज.) ..... वादीगण

बनाम

1. सीमा पत्नी पप्पू
2. प्रीति पुत्री पप्पू
3. अंशु पुत्र पप्पू

सभी जाति जाटव निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली

4. गुलशन पुत्र पप्पू नाबालिग जरिये माता संरक्षिका सीमा पत्नी पप्पू जाति सभी जाटव, निवासी ढिढोरा, तहसील– सुरौठ, जिला करौली राजस्थान।
5. तहसीलदार, तहसील सुरोठ, जिला करौली राजस्थान। ..... प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारे हक एवं तकास्मा

उपस्थित :– 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिनांक :–06.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत इस्तकरारहक एवं तकास्मा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजी ख.नं. 280/4139 रकवा 1.01 हेक्टेयर स्थित ग्राम कंसाने का नंगला तहसील सूरौठ सायलान एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 को विरासत में मृतक भरोसी से प्राप्त हुई है। जिसमें वादीगण प्रत्येक बहिस्सा 1/4, 1/4 एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 बहिस्सा 1/4 के गैर खातेदार रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात को सायलान व गैरसायलान नं. 1 ता 4 बज़माने बुर्ज़ुगान से काश्त करते चले आ रहे हैं। और वर्तमान में बतौर खातेदार काश्तकार मौके पर काबिज़ व दखील हैं। दिनांक 03.11.2022 को वादीगण अपनी आराजीयात पर के.सी.सी. की पट्टावाली बनवाने श्रीमान हल्का पटवारी के पास गये, तो श्रीमान हल्का पटवारी द्वारा उक्त भूमि गैर खातेदारी में दर्ज होने बाबत कहा, जिस पर वादीगण ने तहसील सूरौठ में तहसीलदार जी से उक्त आराजी को वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने बाबत एवं आराजी का विधिवत बटवारा कराने बाबत निवेदन किया, तो तहसीलदार जी द्वारा शेष 1/4 हिस्से के खातेदारान को लाने बाबत कहा, जिस पर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4 से तहसीलदार जी के समक्ष उपस्थित होने का निवेदन किया, तो प्रतिवादीगण ने तहसीलदार जी के समक्ष आने से एवं आराजी का विधिवत बंटवारा कराने से साफ इन्कार कर दिया। इसलिये दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि बिनाय दावा दिनांक 03.11.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी की आराजी का विधिवत बटवारा नहीं कराने की धमकी वमुकाम ग्राम कंसाने का नंगला तहसील सूरौठ में दावा हाजा पैदा हुआ है।

वाद पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि बिनाय मुखासमत व सकूनत फरीकेन की दृष्टि से एवं वादग्रस्त आराजीयात वाके ग्राम कंसाने का नंगला तहसील सूरौठ में स्थित होने के कारण उक्त दावा हाजा की सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि दावा हाजा पर निश्चित कोर्ट फीस पर पेश किया जा रहा है तथा दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि दावा हाजा अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत पेश किया जा रहा है।

वाद पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि वादीगण निम्नलिखित इस्तदुआ की प्रार्थना करते है :–

वाद पत्र के मद नं. 7 के उपमद 7(क) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमायी जावे कि आराजी ख.नं. 280/4139 रकवा 1.01 हेक्टेयर स्थित ग्राम कंसाने का नंगला तहसील

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सूरौठ के वादीगण 1 लगायत 3 बहिस्सा 3/4 एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 बहिस्सा 1/4 के खातेदार काश्तकार हैं।

वाद पत्र के मद नं. 7 के उपमद 7(ख) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आराजी में अपने–अपने हिस्से अनुसार 'मीट्स एण्ड बाउंड्स' के आधार पर अलग–अलग बटवारा फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद पत्र के मद नं. 7 के उपमद 7(ग) में दर्ज किया है कि अन्य कोई दावरसी जो करीने इन्साफ बहक वादीगण हो वह भी अता फरमायी जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.02.2025 को प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 पेश की हैं।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 280/4139 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम कसाने का नंगला तहसील सूरौठ की खातेदारी अंशु पुत्र पप्पू हि0 1/16, नाबालिग गुलशन पुत्र पप्पू संरक्षक माता सीमा हि0 1/16, प्रीति पुत्री पप्पू हि0 1/16, पिन्की पुत्री भरोसी हि0 1/4, रिन्की पुत्री भरोसी हि0 1/4, सुरेन्द्र पुत्र भरोसी हि0 1/4, सीमा पत्नि स्व0 भरोसी हि0 1/16 जातियान जाटव सा0देह गैरखातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 280/4139 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम कसाने का नंगला तहसील सूरौठ में वादीगण बहिस्सा बराबर हि03/4 भाग के रिकोर्डेड सहगैरखातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के प्रतिवादी सं01 लगायत 4 रिकोर्डेड सहगैरखातेदार काश्तकार हैं। वादीगण के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया है कि उक्त विवादित

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आराजीयात वादीगण या उनके पूर्वजों को आवंटन होने के पश्चात आवंटन की शर्तों का उनके द्वारा पालना की गई हो। इसलिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के अभाव में वादीगण को उक्त विवादित आराजीयात का गैरखातेदार के स्थान पर खातेदारी अधिकारी दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जब वादीगण उक्त विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकार ही नहीं है तो उक्त विवादित आराजीयात का विधिवत रूप से तकास्मा कराने के भी अधिकारी साबित नहीं है। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् इस्तकरार हक एवं तकास्मा खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक एवं तकास्मा विवादित आराजी खसरा नम्बर 280/4139 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम कसाने का नंगला तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/1/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली